कार्यालय नगर परिषद बिरसिंहपुर जिला सतना (म0प्र0)

क्रमांक– 1113 /न0पा0/स्था0/दि0नी0/2024 बिरसिंहपुर दिनांक 13/3/2024

//विज्ञापन//

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म0प्र0 भोपाल के पत्र क्रमांक/स्था./एक/201/प्र.शि./2024/3780 भोपाल दिनांक 26/02/2024 द्वारा जारी आदेश अनुसार नगर परिषद बिरसिंहपुर, जिला–सतना (म.प्र.) मे रिक्त स्वच्छता संरक्षक के दिव्यांग जनो हेतु आरक्षित पद पर वॉक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से चयन हेतु इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र दिनांक 01/04/2024 तक आमंत्रित किये जाते है।

न्यूनतम योग्यता धारित करने वाले उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्ति के उपरांत पात्र अभ्यर्थियों को अलग से सूचना दी जावेगी। पदों की संख्या आरक्षित श्रेणी एवं न्यूनतम योग्यता का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0	स्वच्छता संरक्षक पदों की संख्या	नियमित/संविदा	आरक्षण श्रेणी	पद संख्या	न्यूनतम योग्यता	दिव्यांग का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
01	01	नियमित	अनारक्षित	01	05 वीं कक्षा उत्तीर्ण	बहरे/कम सुनने वाले
02	01	संविदा	अनारक्षित	01	05 वीं कक्षा उत्तीर्ण	बहरे/कम सुनने वाले

टीप – 01– **स्वच्छता संरक्षक** के पद पर नियुक्ति वॉक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से चयन समिति द्वारा की जायेगी।

02– चयन समिति द्वारा नियुक्ति के संबंध में लिये गये समस्त निर्णय उम्मीदवारों के लिये बंधनकारी एवं मान्य होंगे।

03– वॉक–इन–इन्टरव्यू के लिये आने वाले उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता प्रदान नही किया जायेगा। उम्मीदवार यात्रा व्यय तथा खाने पीने का व्यय स्वयं वहन करेगा।

04– निर्धारित तिथि समाप्त होने उपरान्त आवेदन पत्र स्वीकार्य नही किये जायेंगे।

05– अधूरे तथा अस्पष्ट आवेदन पत्र पर कोई विचार नही किया जायेगा।

06– नियुक्ति के लिये समस्त आवेदन पत्र मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बिरसिंहपुर जिला सतना के नाम से पंजीकृत डाक से प्रेषित किया जाये, तथा कार्यालय कार्य दिवसों में **कार्यालय में प्रातः 11 बजे से 05.00 बजे तक** जमा किये जा सकते है।

07– नियुक्ति के संबंध में अन्य जानकारी एवं शर्ते कार्यालयीन समय में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

09— न्यूनतम आयु 18 वर्ष की आयु पूर्ण तथा अधिकतम आयु सीमा में शासन के नियमानुसार छूट प्रदान की जायेगी।

10— नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर स्थानीय कोतवाली से चरित्र प्रमाण पत्र, तथा जिला चिकित्सालय द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11— नियमित कर्मचारियों को वेतनमान 4440-7440+DA एवं संविदा कर्मचारियों को वेतनमान 8000 या कलेक्टर महोदय द्वारा स्वीकृत अकु ाल दर देय होगा।